राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर–39 /2021

1. बोदूराम पुत्र सुरजा राम जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी ढाणी पेमाकाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)
2. सुरेन्द्र पुत्र सुरजा राम जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी ढाणी पेमाकाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

......... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

## प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय                    दिनांक 15–07–2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम कालोटा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 151 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम बोदू पुत्र सुरजा के स्थान पर बोदू राम पुत्र सुरजा राम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजा के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र सुरजा राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 151 ग्राम कालोटा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम कालोटा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 151 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम बोदू पुत्र सुरजा के स्थान पर बोदू राम पुत्र सुरजा राम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरेन्द्रकुमार पुत्र सुरजा के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र सुरजा राम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कालोटा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 151 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम बोदू पुत्र सुरजा के स्थान पर बोदू राम पुत्र सुरजा राम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरेन्द्रकुमार

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

पुत्र सुरजा के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र सुरजा राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजपाल यादव )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी